न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16 / 2023

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. मोतीलाल पुत्र सोनाजी जाति घांची निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. जवानाराम पुत्र सोनाजी जाति घांची निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 04.01.2024

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नंबर 1970 / 905 रकबा 0.2450 हैक्टेयर आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। उक्त आराजी के पड़ौस में उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 1969 / 905 रकबा 1.9550 हैक्टेयर आई हुई हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी नवीन खसरा नंबर 1970 / 905 रकबा 0.2450 हैक्टेयर की पैमाईश हेतु प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से आदेश क्रमांक 143 दिनांक 01.03.2023 को जारी करवाया था, जिसकी पालना में हल्का पटवारी जाखड़ी दिनांक 13.03.2023 को उक्त आराजी की पैमाईश हेतु मौके पर आये परन्तु उक्त आराजी के पड़ौसी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवाद करने तथा पैमाईश नहीं करने देने तथा मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त आराजी की पैमाईश नहीं की जा सकी तथा उक्त आराजी की आपसी सहमति से सीमा कायम नहीं हो सकी तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीसंख्या 1 की उक्त आराजी की सीमा को लेकर विवाद पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी उक्त आराजी मौजा जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 1970 / 905 रकबा 0.2450 हैक्टेयर की पैमाईश करवा कर प्रार्थी की उक्त आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी नवीन खसरा नंबर 1969 / 905 के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की उक्त आराजी मौजा जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 1970 / 905 रकबा 0.2450 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी मौजा जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 1969 / 905 रकबा 1.9550 हैक्टेयर आराजी की पैमाईश हेतु कमेटी का गठन कर उक्त आराजी की पैमाईश कर प्रार्थी की उक्त आराजी नवीन खसरा नंबर 1970 / 905 रकबा 0.2450

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:32 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 1969/905 रकबा 1.9550 हैक्टेयर के बीच की सीमा का सीमांकन स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी कायम करवाने के आदेश फरमावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने से जवाब बंद किया गया।

3. हमने दोनों प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.03.2023 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा जाखड़ी के खसरा नम्बर 1970/905 रकबा 0.2450 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1969/905 रकबा 1.9550 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ पर विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया गया, तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतीत होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा जाखड़ी के खसरा नम्बर 1970/905 व 1969/905 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा जाखड़ी के खसरा नम्बर 1970/905 रकबा 0.2450 हैक्टेयर व 1969/905 रकबा 1.9550 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमिया नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर